IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मूल्यसंकट और सम्मान हत्याः भारत का एक काला अध्याय

Value Crisis and Honor Killing : A Dark Chapter of India

श्रीकान्त हाजरा

गवेषक,शिक्षाशास्त्र विभाग

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नया दिल्ली

सारांश- भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। भारतीय संस्कृति गीता, महाभारत, पुराण, बाइबिल और कुरान जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। यह संस्कृति मूल्यों, मानविक मूल्य, सत्य, आस्था,विश्वास विचार धारापर आधारित है। यह पितृसत्तात्मक संस्कृति में गहराई से निहित है, जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में मौजूद है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पारिवारिक सम्मान की मशाल माना जाता है। इसलिए भारतीय परिवार के लिए यह संस्कृति और सम्मान बहुत जरूरी विषय है। भले ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिरभी देश के कुछ हिस्सों में महिलाओं को अभी भी अपनी शादी की पसंद को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है और नही उन्हें अपने पहनने वाले कपड़े चुनने का अधिकार है। वे समुदाय के हितों और संस्कृति के रीति-रिवाजों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें सम्मान के नाम पर परिवार के सदस्यों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है, जो ऑनर किलिंग जैसे नए अपराध को जन्म देता है। यानी परिवार के सम्मान और संस्कृति को वापस पाने के लिए सम्मान के नाम पर हत्या करना। इस में मूल्यों का संकट शामिल है। ऑनर किलिंग(सम्मान हत्या) आज कल एक नई प्रथा बन गई है ,जहाँ परिवार के एक सदस्य को दूसरे सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है। इस मामले में अपराधियों का मानना है कि व्यक्ति ने किसी हरकत से परिवार को बदनाम किया है. विडंबना यह है कि जब ऑनर किलिंग की बात आती है तो "ऑनर" शब्द एक मिथ्या नामकरण है, क्योंकि परिवर के सम्मान के नाम पर किसी की पसंद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर के उसकी हत्या करना सम्मान जनक नहीं है। निस्संदेह, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन और अनादर है। दुर्भाग्य से ऐसे जघन्य अपराधों के

लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। नतीजतन, कई मामले बिना किसी कारण के अघोषित, अनसुलझे और अनसुने रह जाते हैं। इस कार्य के माध्यम से, शोधकर्ता ने ऑनर किलिंग के वास्तविक कारणों, परिवार की भूमिका, सामाजिक संदर्भ समूह और समुदाय की भावनात्मक स्थिति आदि की समीक्षा और विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके लिए शोधकर्ता ने विभिन्न माध्यमिक स्रोतों जैसे विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोधपत्रिकाओं, शोधपत्रों, शोध लेखों की सहायता ली है। यह आशा की जाती है कि इस खोजी प्रयास से आगे के अनुसंधान कार्यों में मदद होगा और इस जघन्य कृत्य को समाप्त करने के लिए एक दिशा निर्देश स्थापित करने का प्रयास होगा।

संकेत शब्दः मूल्यसंकट,सम्मान- हत्या, भारत, अध्याय आदि ।

प्रस्तावना -भारत एक ऐसा देश है जहां ऑनर किलिंग से संबंधित अपराध कोई नई बात नहीं है । यह घटना पूरे भारत में देखी जाती है। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। महिला अधिकार कार्य कर्ता बृंदा अडिगे का मानना है कि सम्मान की रक्षा के लिए आई.पी.सी को हत्या के अपराध के खिलाफ एक अलग कानून बना ने की जरूरत है। वकील और पुलिस कर्मी ऑनर किलिंग को सिर्फ एक और हत्या का मामला मानते हैं, कोई यह नहीं देखता कि हत्या से पहले क्या हुआ था। ऑनर किलिंग आम तौर पर पूर्व नियोजित होती है, इसमें बहुत क्रूरता होती है। विशेष रूप से एस.सी और एस.टी व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार अधिक होते हैं। वकीलों ने परिभाषित किया ,यह एक 'भावनात्मकहमला' हैं। न्यायाधीशों ने इसी तरह मामले को एक हत्या के रूप में देखता है, न कि 'ऑनर किलिंग'। याद रखें कि यह अब भारत में एक गंभीर अपराध है, इसे अपने समाज से मिटाने में सक्षम नहीं कहते हैं। क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई सख्त और सीधा कानून नहीं है। जो युवा अपनी पसंद व्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें सामाजिक मानदंडों द्वारा दबाया जा रहा है। उनके हितों की रक्षा के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए । आजकल, महिलाएं इस जघन्य अपराध की अधिक शिकार हैं, एक शब्द में, यह महिलाओं के मानवाधिकारों को कमजोर करता है। इस नए भारत में संहिताबद्ध कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिरभी यह चिंताका विषय है कि मौलिक अधिकारों को शून्य किया जा रहा है, जो व्यक्तियों के मौलिक मानवाधिकारों पर हमला करने और उनका उल्लंघन करने के अलावा कुछ नहीं है। इस लिए इस जघन्य कृत्य का अंत होना चाहिए। इस अनुसंधान के माध्यम से एक स्वस्थ और सामान्य जीवन की रूपरेखा तैयार की जाए गी, जो मानव अधिकारों की रक्षा केलिए एक इतिवाचक पदक्षेप है।

मूल्य और मूल्यसंकट-

साम्प्रतिक काल में मूल्य और संकट एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न शिक्षाविदों ने मूल्यों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, और मूल्य संकट के व्युत्पत्तिगत अर्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 'Value' शब्द मूल रूप से लैटिन शब्द 'Valarie' से लिया गया है। जिसका अर्थ है 'Strong और Vigorous'। अर्थात् किसी वस्तुका मूल्य या गुण होता है। मूल्य आमतौर पर सामाजिक, नैतिक और अन्य आदर्शों को संदर्भित करते हैं ,जो एक व्यक्ति समाज में अन्य लोगों के साथ स्वयं के लिए पालन करेगा। मूल्य को संस्कृत 'इष्ट' का पर्याय माना जाता है, जो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ को संदर्भित करता है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के संदर्भ में न्याय को संदर्भित करता है। डॉ. राधा कमल मुखर्जी ने सही टिप्पणी की-"Values may be defined as socially approved desires and goals that are internalized through the process of

conditioning, learning and socialization and that became subjective preferences, standards and aspirations" । मूल्यों के संकट की अवधारणा देते हुए, यह कहा जा सकता है कि संकट का अंग्रेजी समकक्ष" Crisis "है, जो ग्रीक शब्द 'Krisis' है । जिसका अर्थ जटिल, अस्थिर, खतरनाक है। यानी जो चीज व्यक्तियों, समाज और पूरी दुनिया में खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है वह संकट है। जब समाज असंतोष, तनाव और संकट का सामना करता है, संघर्ष करता है, मूल्यों के विकास में बाधा प्राप्त करता है ,और मूल्यों के व्यावहारिक क्षेत्र का ह्रास होता है तो इसे मूल्यों का संकट या मूल्यसंकट कहा जाता है। सम्मान ह्त्या एक ऐसे ही मूल्यसंकट की मुद्दा है। यह संकट वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इसके समाधान के लिए सभी को सकारात्मक प्रदर्शन कदम उठाना आवश्यक है ।

ऑनर किलिंग और सामान्य हत्या

ऑनर किलिंग को पारंपरिक हत्या के रूप में भी जाना जाता है। यानी परिवार के किसी सदस्य या कबीले के सदस्य को परिवार के किसी सदस्य या कबीले के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। इस कृत्य में लिप्त लोगों का मानना है कि उस व्यक्ति ने परिवार का अपमान किया है और समाज को प्रदूषित किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न केवल महिलाएं ऐसी हत्याओं का शिकार होती हैं, बल्कि पुरुष भी ऐसे अपराधों के शिकार होते हैं। ये अपराध रीति-रिवाजों, जाति मान्यताओं और धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक अंधविश्वासों में से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, पुरुषों की स्थिति महिलाओं की तुलना में अधिक है, जब महिलाएं अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करती हैं, परिवार की सहमति के बिना किसी से शादी करने का विकल्प चुनती हैं, या परिवार की इच्छा के खिलाफ अन्य गति विधियों में शामिल होती हैं, तो ऑनर किलिंग जैसे जघन्य कृत्यों का शिकार होती हैं। संयुक्त राष्ट्र जन संख्या कोष द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि वार्षिक आधार पर लगभग 5000 लोग ऑनर किलिंग के कारण मारे जाते हैं। मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी ऑनर किलिंग को परिभाषित करती है, "कुछ देशों में परिवार के किसी सदस्य को मारने की प्रथा को परिवार केलिए शर्म की बात माना जाता है।" , लेकिन सामान्य मानव वध किसी भी कारण से हो सकता है। किसी आकस्मिक घटना, क्रोध , ईर्ष्या, व्यक्तिगत कारणों और विभिन्न सामाजिक कारणों से एक या एकसे अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं। इस प्रकार, ऑनर किलिंग और सामान्य हत्याओं के बीच कुछ वस्तुगत अंतर देखे जाते हैं। आम तौर पर परिवार और समाज के सम्मान की रक्षा केलिए की जाने वाली हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। सामान्य हत्या के मामले में कुछ अंतर देखा जाता है। लेकिन समानता की दृष्टि से दोनों ही बातें हत्या हैं।

ऑनर किलिंग की घटनाएं

आगरा (2023) : पहले गुमशुदगी दर्ज कराई और बाद में मृत पाई गई। 17 साल की एक लड़की अपने घर में मृत पाई गई। मथुरा पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है.

आगरा (2023) : उत्तर प्रदेश के ईटा जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत श्रीकरा गांव में दिनदहाड़े एक 25 वर्षीय महिला की उसके 26 वर्षीय पति समेत मौत हो गयी और उसका तीन वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. कपल का नाम जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी पूजा है।उनका नाबालिग बेटा तनिष्क है।

बिहार (2023) : झूठी शान की खातिर हत्या के मामले में जमुई जिले के खैरा थाने के रायपुरा गांव में एक 16 वर्षीय कि शोरीकी उसके घर में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी.

आंध्रप्रदेश (2023): ऑनर किलिंग केस उनकी ही 21 वर्षीय बेटी की उसके पिता ने हत्या कर दी । पहले शादी शुदा बेटी का सिर कलम कर दिया और बाद में उसके शरीर को अन्यथा निपटाने केलिए नल्लामाला को जंगल में स्थानांतरित कर दिया गया।

मूल्यसंकट और सम्मान हत्या की कारण

समाज में जिन कारणों से सम्मान के नाम पर लोगों को खुले आम मारने की प्रथा चल रही है, उन में से कुछ उल्लेख नीचे किया गया है।

- ऑनर किलिंग तब होती है जब एक लड़की अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, जो समाज द्वारा उचित या मामूली नहीं माने जाते हैं और समाज द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
- परिवार के पसंदीदा दूल्हा या दुल्हन से शादी करने से इंकार करने पर ऑनर किलिंग हो सकती है।
- अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना और किसी दूसरी जाति या जाति के व्यक्ति से शादी करना, मादक हत्या का मार्ग प्रशस्त करता है।
- जब एक महिला अपने पति से तलाक मांगती है, तो इसे ऑनर किलिंग केलिए ट्रिगर माना जाता है और ऑनर किलिंग जैसे जघन्य मामले होते हैं।
- जब महिलाएं अपने पति और परिवार की सहमति के बिना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती हैं, तो यह परिवार के भीतर आक्रोश पैदा करता है, जिसका प्रकटी करण ऑनर किलिंग है।
- किसी भी कारण से पारिवारिक कलह को सहन न कर पाना, मामला दर्ज करने का प्रयास या शिकायत करने से परिवार के भीतर यह धारणा बनती है कि महिला घरकी चार दीवारी के बाहर वैवाहिक मुद्दों पर चर्चा करके परिवार का अपमान कर रही है। नतीजा ऑनर किलिंग है।
- बलात्कार पीड़िता परिवार और समाज में लाचार हो जाती है, कुछ मामलों में समाज के साथ-साथ देश के कुछ हिस्सों में परिवार और महिलाओं का बहिष्कार किया जाता है और ऑनर किलिंग का प्रयास किया जाता है।
- अगर कोई लड़की शादी से पहले अपना कौमार्य खो देती है, तो परिवार का मानना है कि लड़की ने परिवार का अपमान किया है। भारतीय संस्कृति का मानना है कि शादी तक महिलाओं को अपना कौमार्य बनाए रखना चाहिए। अगर इस का उल्लंघन होता है तो ऑनर किलिंग होती है।
- जब एक रिश्ते में जोड़े परिवार के सामने अपने रिश्ते का खुलासा करते हैं, तो यह आंशिक रूप से ऑनर किलिंग की छत्र छाया में आता है, क्योंकि रिश्ते में होना परिवार के लिए शर्मनाक माना जाता है।
- समलैंगिक गतिविधि में लिप्त होना या "स्त्रीवत्" कपड़े पहने एक पुरुष, "मर्दाना" कपड़े पहनने वाली लड़की को परिवार का अपमान माना जाता है और यह ऑनर किलिंग के अधीन है।

- वैवाहिक बंधन के बाहर यौन गतिविधियों में शामिल होना। ऐसे में पति को लगता है कि उसकी पत्नी ने उसके परिवार और उसे भी अपमान किया है और शादी के पवित्र बंधन को तोड़ दिया है। नतीजतन ऑनर किलिंग की जाती है।

ऑनर किलिंग के खिलाफ की गई कदम

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 5,000 महिलाओं और लड़कियों को उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के सम्मान की रक्षा केलिए मार दिया जाता है। अगर हम ऑनर किलिंग मामले पर चर्चा की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो ऑनर किलिंग का मुद्दा पहली बार 2009 में भारतीय संसद में उठाया गया था।

- राज्य सभा में दोनों कक्षयों के सदस्यों ने जुलाई 2009 में ऑनर किलिंग के मुद्दे पर बहस की और ऑनर किलिंग के अपराध से निपटने के लिए एक अलग कानून का प्रस्ताव रखा।
- मनोज और बबली ऑनर किलिंग केस में खाप पंचायत अध्यक्ष को सजा मिली थी। न्यायाधीश के अनुसार, खाप पंचायत ने संविधान का उल्लंघन किया और कानून को अपने हाथ में लिया। इसके लिए खाप पंचायत प्रधान को दंडित किया गया।
- इस मामले को कानून मंत्रालय को भेज दिया गया, जिसने 2010 में विशिष्ट सिफारिशें जारी कीं ।
- अगस्त 2010 में, अखिल भारतीय लोक तांत्रिक महिला संघ (AIDWA) के विधायी प्रकोष्ठ ने अन्य महिला संगठनों के साथ मिल कर "सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध की रोकथाम विधेयक" नामक एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार किया और इसे सरकार को पेश किया। हत्या के अलावा, विभिन्न अपराधों के साथ-साथ निवारक उपायों और दंड स्तरों का भी उल्लेख किया गया ।
- भारतीय विधि आयोग ने 2012 में विधेयक का अपना संस्करण पेश किया। इस बिल को ऑनर किलिंग के प्रति अधिक सतर्क और सीमित दृष्टिकोण के रूप में देखा गया। इस विधेयक का शीर्षक था "गैर कानूनी सभाओं का निषेध (वैवाहिक संघ की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप) विधेयक। "गैर कानूनी सभाओं" को खाप पंचायतों के रूप में जाना जाता है।
- मार्च 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक औपचारिक कानून लागू होने तक इन सिद्धांतों का पालन करने के इरादे से ऑनर क्राइम से निपटने केलिए निवारक उपाय जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि उचित और सख्त कानून को अविलंब अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष- वर्तमान समय में ऑनर किलिंग गहरा रूप ले लिया है। जो मूल्यसंकट को सुनिश्चित करता है। काफी हदतक, मध्य युगीन बर्बरता पारगमन की स्थिति में विकसित हुई है। लेकिन भारत में इस ऑनर किलिंग को लेकर कोई सीधा कानून नहीं बनाया गया है। जो कुछ भी व्यवस्थित किया गया है वह अप्रत्यक्ष है। हालांकि न्याय पालिकाने ऑनर किलिंग के कई मामलों में विवेकपूर्ण तरीके से काम किया है, लेकिन कुछ आरोपी सजा से बचने में सक्षम हो गया, क्योंकि इस अपराध से निपटने केलिए कोई अलग कानून नहीं है। इस घिनौनेपन से छुटकारा पाने का सबसे उपयुक्त हथियार जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के भीतर संकीर्ण सोचके बजाय उदार मानसिकता विकसित करना है। केवल अपराधियों को कानून से सजा देने से समस्या पूरी तरह

समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह समाज की मानसिकता में निहित है। यदि विवाह के रीति-रिवाजों के कारण परिवार में कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तो इस दुखद कृत्य को करने के स्थान पर दम्पति के साथ सामाजिक सम्बन्ध विकसित करना चाहिए। किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए खत्म करना कभी भी वांछनीय नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अनुपालन नहीं किया है। जीवन ईश्वर की ओर से एक महान उपहार है। इसलिए इसे कभी भी इंसान से खत्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए मूल्यों का अवधारण आवश्यक है।

निर्देशिका

Bhatia.A.(2012).Honour Killing-A study of the causes and remedies in its Socio Legal Aspects,India,IIRRJ.

Singh.S.(2014).Honour Killings in India:A study of the Punjab State,India,IRJSS.

Bajaj.Piyush.Hussain & Anum.(2016).There is no muder,India,JCIL.

Rana.P.K & Mishra.B.P.(2013).Honour Killing-A gross violation of Human Rights & its challenges,India,IJHSSI.

R.Preethi & A.Srilatha.(2018).Honour Killing in India,India,IJPAM.

Grewal.P.k.(2012). Honour Killings and Law in India,India,IOSRJHSS.

Thurston.E.(1975).Caste and Tribes of southern India,Vol II, Delhi.

Chakrabarty.p.(2021). Skill For Democratic Citizenship,Kolkata, Rita Publication.

शिरश्री).2020(,निराशा से मुक्तिऔ पावलिसिं, भारत ,

Mete.J.(2017). Gender And Society. Kalyani, Rita Book Agency.

Sharma. K.(2010). Gender, School, Society. India, Bookman.

Dinakar. P.(2010). Life Skill Education. India, APH.

पाण्डा,इउ.(2016) लिङ्गःपरिचय-शिक्षालय-समाज, कलिकाता, रीता,

Alfredo.(2019).Value And Crisis. India, Academic Publication.

Mukherjee . R. (2014). Indian Society : Issues And Problems. India, SBPD Publication.

अन्तर्जालसङ्केतसूची

www.researchgate.net

www.livingvalues,net

www.edifyschoolbengaluru.com

www.goolebooks.com

www.shodhaganga.com

www.inflibnet.org

www.archive.com

www.worldpress.com

www.namami.com

www.sanskritdocuments.com

www.sanskritlibrary.com

www.academia.com

www.hinduonline.co